

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 55]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 16, 1976/माघ 27, 1897

No. 55]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 16, 1976/MAGHA 27, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATIONS

CUSTOMS

New Delhi, the 16th February 1976

G.S.R. 81(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts glass shells, when imported into India for the manufacture of T.V. picture tubes, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), as is in excess of 60 per cent *ad valorem* and the whole of the additional duty leviable thereon under section 2A of the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934).

[No. 12/F. No. 355/146/73-Cus.I]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचनाएं

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1976

सां कां निं 81 (अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, ग्लास शैलों को, जब भारत में उतारा आयात टो० बी० पिक्चर ट्यूबों के विनिर्माण के लिए किया गया हो, उन पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के उक्त भाग क, जो भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम प्रनुसूची में विनिर्दिष्ट है, उक्त अंश से, जितना मूल्यानुसार 60 प्रतिशत से अधिक्य में हो और भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की धारा 2क के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण अनिश्चित शुल्क से छूट देती है।

[सं० 12/का० सं० 355/146/73—सीमा शुल्क-I]

G.S.R. 82(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 31 of the Finance Act, 1975 (25 of 1975), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts glass shells, when imported into India for the manufacture of T.V. picture tubes, from so much of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-section (1) of section 31 of the said Finance Act, as is in excess of 15 per cent *ad valorem*.

[No. 13/F. No. 355/146/73-Cus.I]

M. JAYARAMAN, Under Secy.

सां कां निं 82 (अ).—वित्त अधिनियम, 1975 (1975 का 25) की धारा 31 की उपधारा (4) के साथ पठित, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, ग्लास शैलों को, जब भारत में उतारा आयात टो० बी० पिक्चर ट्यूबों के विनिर्माण के लिए किया गया हो, उक्त वित्त अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सहायक सीमा-शुल्क के उक्त भाग से, जितना मूल्यानुसार 15 प्रतिशत से अधिक्य में हो, छूट देती है।

[सं० 13/का० सं० 355/146/73—सीमा-शुल्क-I]

एम० जयरामन्, अवसर सचिव ।